न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/20 **निर्णय दिनांकः–28–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2020/00019)

1. मुमजात खॉ
2. अब्दुल सत्तार
3. सावणखॉ
4. अमीना
5. समीना
6. निदामा खातून
7. सतन खातून
8. बख्खा खातून

पुत्र/पुत्रियॉ फतुखॉ जाति मुसलमान निवासी धोधा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

9. हसी खातून बेवा फतु खॉ जाति मुसलमान निवासी धोधा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–02–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री रफीकशाह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–01–2000 जिसके द्वारा अपीलांट्स पति/पिता का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा तहसील पूगल में चक 04 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 153/43 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट्स के पति/पिता को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट्स के पति/पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा पौंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा ऐसी भूमि के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये जोकि अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि थी। इसमें अपीलांट्स के पति/पिता की कोई गलती नहीं है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों द्वारा कारित की गई भूमि का खामियाजा अपीलांट्स को नहीं मिल सकता। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स को पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–02–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 27–12–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—12—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते चक 04 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 153/43 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये चालान की प्रति अथवा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना के अनुसार वादग्रस्त भूमि पौंग बांध विस्थापितों को आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही वादग्रस्त भूमि के विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु मांगपत्र आंमत्रित किये गये है। इसमें अपीलांट्स का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28—02—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.02 10:04:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: